

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 21/05/2024

:: आदेश ::

क्रमांक 730/एफ 1/1/1/0019/2024/मेडि-सत्रह :- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति की अनुशंसा पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों को प्राध्यापक के पद पर वेतनमान रु. 144200 – 218200 (सातवें वेतनमान में एकेडमिक लेवल 14) में नियुक्त करता है। नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को उनके सम्मुख कॉलम क्र.-4 में दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	चिकित्सा शिक्षक का नाम	विभाग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	Dr. Prakash K G	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
2.	Dr. Amit Arunkumar Mehta	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
3.	Dr. Ashish Umaji Kamdi	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।
4.	Dr. Lata Omprakash Mahato	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।
5.	Dr. Rajveer Singh Chourasia	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्योपुर।
6.	Dr. Rakesh Kumar	फिजियोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
7.	Dr. Purushottam Dhanrajwagh	फिजियोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
8.	Dr. Saurabh Jain	माइक्रोबायोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
9.	Dr. Vijay Chandrabhan Ambade	माइक्रोबायोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।
10.	Dr. Vikas Jain	माइक्रोबायोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
11.	Dr. Sonali Bholanath Rode	फार्माकोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।
12.	Dr. Siddharth Vijay Banode	फार्माकोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।
13.	Dr. Kartik Janardan Salwe	फार्माकोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
14.	Dr. Adesh Patidar	फार्माकोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।

निरंतर-2

M

स.क्र.	चिकित्सा शिक्षक का नाम	विभाग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
15.	Dr. Arjun Singh	पैथोलॉजी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
16.	Dr. Pawan Anandrao Wankhade	फोरेन्सिक मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
17.	Dr. Syed Numan Hussaini	फोरेन्सिक मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।
18.	Dr. Mohan Chaganlal Gushinge	फोरेन्सिक मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
19.	Dr Arvind Vyankatesh Athavale	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
20.	Dr. Aditya Suryabhan Berad	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
21.	Dr. Ambrish Mishra	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।
22.	Dr. Ram Kumar Panika	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिंगरौली।
23.	Dr Sunil Kant Guleri	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्योपुर।
24.	Dr. Veena Kachhwah	निश्चेतना (एनीस्थीशिया)	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।

2/ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. नियुक्त चिकित्सक को आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समयावधि में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। अपरिहार्य स्थिति में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा इसे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
2. नियुक्त चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व भोपाल जिले के जिला चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने के उपरांत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल को उपलब्ध कराना होगा।
3. नियुक्त चिकित्सक को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 के नियम 13 के अनुसार यह नियुक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी।
5. नियुक्त चिकित्सक की वरिष्ठता विभाग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के अनुसार होगी।

6. नियुक्त चिकित्सक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम, 2005 लागू होंगे।
  7. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थायी) सेवा नियम, 1960 के नियम-12 (ए) के अनुसार संबंधित चिकित्सक की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित चिकित्सक द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किए बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन तथा भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित चिकित्सक से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
  8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा नियुक्त चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित दस्तावेज क्रमशः मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता/पहचान संबंधी दस्तावेज का मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापन किया जाये तथा सत्यापित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का संबंधित नियुक्त चिकित्सक की व्यक्तिगत नस्ती में आवश्यक रूप से संधारित किया जावे।
  9. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के आयोग्य पाये जाने अथवा जाति प्रमाण-पत्र अवैध पाये जाने की स्थिति में उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल को प्रस्तुत किया जावे।
  10. विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होंगे।
  11. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त चिकित्सक को वचन पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (EOW) में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। भविष्य में नियुक्ति के समय लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (EOW) में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- 4/ उपरोक्त सभी चिकित्सा शिक्षक संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल में उपस्थिति देने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर अधिष्ठाता को उपस्थिति प्रदान करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(सुरभि गुप्ता)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 731/एफ 1/1/1/0019/2024/मेडि-सत्रह भोपाल, दिनांक 21/05/2024  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  5. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
  7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
  10. संचालक, राजपत्रित शाखा, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल।
  11. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ..... मध्यप्रदेश।
  12. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ..... मध्यप्रदेश।
  13. चयनित प्राध्यापक डॉ. ....
  14. आदेश/गार्ड फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग